आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता विषय पर भारत गणराज्य और ब्राजील संघीय गणराज्य के बीच करार

भारत गणराज्य और संघीय गणराज्य ब्राज़ील को इसके बाद में "पक्षकार" के रूप में संदर्भित किया जायेगा ;

दोनों देशों के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए;

सम्मन तामील करने, वारंटों के निष्पादन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों और आयोगों में पारस्परिक सहायता के व्यापक उपायों में मदद की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए;

आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के जरिए अपराध की जांच और अभियोजन तथा अपराधों से अर्जित संपत्तियों और साधनों का पता लगाने और उन्हें जब्त अथवा अभिग्रहित करने के लिए प्रभावकारिता में वृद्धि करना;

भ्रष्टाचार, धन शोधन, स्वापक पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी, आर्थिक अपराध, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटकों, संगठित अपराध, साइबर अपराधों, आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित गंभीर आपराधिक गतिविधियों से निपटने के विशेष महत्व को दोहराते हुए ;

अनुच्छेद 1
लागू होने का दायरा

1. इस करार के तहत, अपने-अपने घरेलू कानूनों के अध्यधीन पक्षकार एक दूसरे को पूर्ण रूप से आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करेंगे ।

2. इस करार के प्रयोजन के लिए, आपसी कानूनी सहायता को प्रदान की जायेगी चाहे मांगी जाने वाली सहायता पैरा 5 में यथा उल्लिखित किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मांगी जाए या प्रदान की जाए।

3. यह करार लागू होने से पहले किए गए कृत्यों या चूक से संबंधित पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए किसी भी अनुरोध पर लागू होगा।

4. सहायता, इस बात को ध्यान में रखे बिना प्रदान की जाएगी कि वह कृत्य जो अनुरोधकर्ता पक्षकार में जांच, अभियोजन अथवा कार्यवाहियों के अधीन है, जिनकी वह अनुरोधकर्ता पक्षकार के घरेलू कानूनों, इस करार के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत मांगी गई सहायता को छोड़कर जिसमें सहायता तभी प्रदान की जाएगी यदि अपराध अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में किया गया है।

5. इस करार के उद्देश्य के लिए, अपने केंद्रीय प्राधिकरण को पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए अनुरोध को अग्रेषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ही अनुरोधकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून में यथा परिभाषित जांच, अभियोजन या न्यायिक कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार या पात्र हों।

6. यह करार पूरी तरह से पक्षकारों के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए है। इस करार के प्रावधान किसी भी निजी व्यक्ति को किसी भी साक्ष्य को

प्राप्त करने, दबाने, या उजागर करने, या अनुरोध के निष्पादन को अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं देंगे।

7. यह करार निम्न पर लागू नहीं होगा:

क) प्रत्यर्पण करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत;

ख) अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार में दिए गए कोई आपराधिक निर्णय और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार में लागू करने के लिए प्रेषण सिवाय कि वह अनुरोधकर्ता पक्षकार के कानून और वर्तमान करार के अनुच्छेद 16, 17 और 18 द्वारा अनुमत सीमा तक हो;

ग) हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सजा काटने के लिए अंतरण;

घ) आपराधिक मामले में विचारण के लिए अंतरण ।

अनुच्छेद 2
परिभाषाएं

1. इस करार के उद्देश्य के लिए:

क) आपराधिक मामलों का अर्थ किसी भी पक्षकार के घरेलू कानूनों के तहत अपराध के संबंध में जांच, पूछताछ, विचारण या कोई अन्य कार्यवाही है ।

ख) आपराधिक मामलों में कराधान, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क, पूँजी के अंतरराष्ट्रीय अंतरण और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के भुगतान सहित और विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों की जाँच या इस संबंध में कार्यवाही भी शामिल होंगी ।

2. सहायता में शामिल होंगे:

क) अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार देश के कानूनों द्वारा अनुमत्य होने पर आतंकवाद, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध सम्बंधित कार्यवाही में मदद से सहित अपराधों से होने वाले आय और साधनों की पहचान करना, पता लगाना, खोज करना, स्थान का पता लगाना, अवरुद्ध करना, अभिगृहित करना, जब्त करना और निपटाना।

ख) साक्ष्य जुटाने और व्यक्तियों के बयान लेना ;

ग) आपराधिक और न्यायिक रिकॉर्ड सहित सूचना, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड मुहैया कराना;

घ) पहचान सहित व्यक्तियों और वस्तुओं की अवस्थिति;

ड.) प्रदर्शनीय वस्तुओं को उधार देने सहित संपत्ति की सुपुर्दगी;

च) हिरासत में लिए गए लोगों और अन्य लोगों को सबूत देने या जांच, अभियोजन या अन्य आपराधिक कार्यवाहियों में सहायता करने के लिए उपलब्ध कराना ;

छ) दस्तावेजों, जिनमें व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए दस्तावेज शामिल हैं , प्रदान करना;

ज) व्यक्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा वाले दस्तावेजों सहित दस्तावेज तामील करना;

झ) गवाहों अथवा सहायता करने वाले व्यक्तियों को जांच, अभियोजन या अन्य आपराधिक कार्यवाही में मौजूद रहने की सुविधा प्रदान करना;

ञ) गबन की गई सार्वजनिक निधियों की क्षतिपूर्ति के उपाय करना;

ट) कंप्यूटर डाटा की सुरक्षा और संरक्षण; तथा

ठ) इस करार के उद्देश्य के अनुरूप कोई अन्य सहायता अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून के विपरीत न हो ।

3. इस करार के प्रयोजनों के लिए:

क) "अपराध से प्राप्त आय" का अर्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक गतिविधि (जिसमें मुद्रा हस्तांतरण के अपराध सहित) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई संपत्ति या ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य है;

ख) "संपत्ति" में किसी भी प्रकार की संपत्ति और परिसंपत्ति शामिल है चाहे वह मूर्त अथवा अमूर्त, चल अथवा अचल, भौतिक अथवा अभौतिक और करार और लिखतों जिसका मालिकाना साक्ष्य हो अथवा जिसमे रुचि हो, ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय और अपराध से जुटाए गए साधन शामिल हैं;

ग) "जब्ती" का अर्थ है कि संपत्ति वंचन के लिए किया गया कोई भी उपाय;

घ) "अपराध के साधन" का अर्थ है किसी भी संपत्ति जो अपराध कारिता के संबंध में उपयोग की जाती है या इसके उपयोग किए जाने की मंशा है ;

ङ) "संपत्ति को अवरुद्ध करना" का अर्थ संपत्ति का सौदा करने या हस्तांतरण या निपटान को रोकने का कोई उपाय करना है।

च) "*कुर्की*" का अर्थ आदेश द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण, रूपांतरण, निपटान या संचालन को रोकना है।

छ) "*डाटा* " का अर्थ सूचना, ज्ञान, तथ्यों, अवधारणाओं या अनुदेशों की प्रस्तुति है जो औपचारिक रूप से तैयार किए जा रहे हैं या तैयार किए गए हैं और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में संसाधित करने की मंशा है या संसाधित किया जा रहा है या संसाधित किया गया है या किसी अन्य रूप में भंडारित (कंप्यूटर प्रिंटआउट, मैग्नेटिक अथवा ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, पंच्ड कार्ड, पंच्ड टेप्स) या कंप्यूटर की मेमोरी में आंतरिक रूप से संग्रहीत किया जाता है ।

ज) "*व्यक्तिगत डाटा*" का अर्थ है किसी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति के बारे में या उससे संबंधित डाटा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

पहचाने जाने योग्य है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी विशेषता, लक्षण, गुण या अन्य किसी भी गुणों अथवा गुणों के संयोजन अथवा ऐसे गुणों की अन्य किसी जानकारी के साथ संयोजन से पहचाना जा सकता है; तथा

झ) "*कंप्यूटर डाटा* का संरक्षण" का अर्थ *कंप्यूटर डाटा* जो पहले से ही भंडारित रूप में मौजूद है, में संशोधन अथवा मिटाने या ऐसी किसी भी चीज़ से जो इसकी वर्तमान गुणवत्ता या स्थिति को बदल अथवा बिगाड़ सकती है, से सुरक्षित करना है ।

अनुच्छेद 3
केंद्रीय प्राधिकार

1. इस करार के तहत सहायता के लिए अनुरोध पक्षकारों के केंद्रीय अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

2. भारत गणराज्य में, केंद्रीय प्राधिकरण गृह मंत्रालय है। ब्राजील संघीय गणराज्य में, केंद्रीय प्राधिकरण ब्राजील का न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय है ।

3. इस करार के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण एक दूसरे के साथ सीधा संवाद करेंगे।

4. पक्षकार किसी भी समय इस करार के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्राधिकरण को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित कर सकता है। राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान से इस तरह के नामित करने की अधिसूचना दी जाएगी ।

अनुच्छेद 4
अनुरोध की विषय वस्तु

1. सहायता के लिए अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा। हालाँकि, अत्यावश्यक परिस्थितियों में, ईमेल या फेसीमाइल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी अन्य सहमत रूप या इंटरपोल के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के अनुरोध करने के बाद 15 दिनों के भीतर सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी।

2. सहायता के लिए अनुरोध में से निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :

(क) सम्बंधित अनुरोध की जांच या कार्यवाही का संचालन करने वाले सक्षम प्राधिकारी का नाम;

(ख) दस्तावेज तामील करने के अनुरोध के मामलों को छोड़कर लागू मामलों में जाँच, अभियोजन या विचारण की प्रकृति, और तथ्यों का सारांश एवं लागू कानूनों की एक प्रति;

(ग) जिस उद्देश्य के लिए अनुरोध किया गया है और मांगी गई सहायता की प्रकृति;

(घ) अनुरोध के संबंध में पूछताछ का जवाब देने के लिए सक्षम व्यक्ति का संपर्क विवरण;

(ड.) आपराधिक मामले और मांगी गई सहायता के बीच संबंध स्थापित करना;

(च) जांच के तहत व्यक्ति या जांच के तहत संपत्ति के बारे में अनुरोधकर्ता पक्षकार को पास उपलब्ध जानकारी;

(छ) कथित आरोपियों का आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो;

(ज) किसी विशेष प्रक्रिया या आवश्यकता का विवरण जिसका अनुपालन अनुरोध करने वाला पक्षकार करना चाहता हो;

(झ) कोई समय सीमा जिसके भीतर अनुरोध का अनुपालन वांछित है;

(ञ) जांच अथवा विचारण के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान, राष्ट्रीयता और स्थान , जहाँ तक संभव हो, जन्म की तारीख और स्थान तथा माता-पिता के नाम भी शामिल किए जाएंगे।

(ट) साक्ष्य जुटाने या तलाशी या जब्ती के अनुरोधों के मामले में, उस विश्वास का आधार बताते हुए अभिकथन कि साक्ष्य अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्राधिकार में पाए जा सकते हैं;

(ठ) किसी व्यक्ति से साक्ष्य लेने के अनुरोधों के मामले में, एक अभिकथन कि शपथ या पुष्टि किए गए बयानों और मांगे गए साक्ष्य के विषय के सम्बन्ध में विवरण की आवश्यकता क्यों है;

(ड) जब्त की गई/प्रदर्शनीय सामग्रियों को उधार देने के मामले में, उस व्यक्ति या व्यक्ति की श्रेणी जिनकी अभिरक्षा में सामग्री होगी, जिस स्थान से सामग्री हटायी जाती है, यदि किसी प्रकार का परीक्षण किया जाता है, और वह तिथि जब तक दिखाई जाने वाली सामग्री लौटानी होगी;

(ढ) हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के मामले में, उस व्यक्ति या व्यक्ति की श्रेणी जिनके पास स्थानांतरण के दौरान हिरासत होगी, जिस स्थान पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाना है और उस व्यक्ति की वापसी की तिथि;

(ण) गोपनीयता की जरूरत, यदि कोई है, और इसके कारण;

(त) जहां संभव हो, अपराध से प्राप्त आय या साधनों को अवरुद्ध करने या जब्त करने के अनुरोध के मामले में:

(i) उनके स्थान सहित आय या साधनों का विस्तृत विवरण;

(ii) एक अभिकथन जो इस विश्वास का आधार बताए कि उक्त धन या संपत्ति अपराध से प्राप्त आय या साधन है; तथा

(iii) अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के पास कार्यवाही के लिए उपलब्ध होने वाले साक्ष्य का वर्णन करने वाला अभिकथन।

(थ) डाटा की सामग्री के संबंध में अनुरोध के मामले में, अपराध और सूचना के बीच लिंक के संभावित कारण के बारे में अभिकथन प्रदान करना होगा;

(द) अनुरोध करने वाले देश द्वारा डाटा के संरक्षण के अनुरोध के मामले में, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) या दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) या किसी व्यक्ति या संस्थान की पहचान जिसका डाटा संरक्षित किया जाना है, या उस व्यक्ति का दूरसंचार पता संरक्षित रिकॉर्ड वाले डाटा और, जांच या अभियोजन के लिए प्रासंगिकता का विवरण मुहैया कराना होगा; तथा

(ध) बैंक जानकारी की पहचान के अनुरोध के मामले में, इस तरह के खातों या लेनदेन के लिए प्रासंगिक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति की पहचान अनुरोधकर्ता पक्षकार के अभिकथन के साथ प्रदान की जा सकती है, जिसमें यह व्यक्त किया जाएगा कि मांगी गई जानकारी आपराधिक जांच अथवा कार्यवाही से संबंधित है और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्राधिकार के बैंकों के पास अनुरोध प्राप्तकर्ता जानकारी हो सकती है।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोध को इस कारण से कि इसमें इस अनुच्छेद के तहत वर्णित सभी जानकारी शामिल नहीं है और यदि इसे अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार निष्पादित किया जा सकता हो, पूरी तरह से निष्पादित करने से इंकार नहीं करेगा ।

4. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोध करने पक्षकार से अनुरोध कर सकता है कि वह अनुरोध को निष्पादित करने के उद्देश्य से अनुरोधकर्ता पक्षकार के लिए आवश्यक कोई और जानकारी प्रदान करें।

अनुच्छेद 5
अनुरोध का निष्पादन

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के केंद्रीय प्राधिकरण अनुरोध को अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट रूप से अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार यदि वह उस कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है, निष्पादित करेगा, या इसे उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से निष्पादित कराएगा ।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की ओर से न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के पास अनुरोध को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सम्मन, हाजिर होने का सन्देश, तलाशी वारंट या अन्य आदेश जारी करने का अधिकार होगा।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का केंद्रीय प्राधिकरण, सहायता के अनुरोध में जुड़ी किसी भी कार्यवाही में अनुरोधकर्ता पक्षकार की ओर से अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के प्रतिनिधित्व के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

4. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, अनुरोध करने पर, सहायता के लिए अनुरोध के निष्पादन की तारीख और स्थान के बारे में अनुरोधकर्ता पक्षकार को सूचित करेगा।

5. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार केवल बैंक गोपनीयता की आधार पर अनुरोध को निष्पादित करने से इंकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 6
सहायता से इंकार

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार सहायता से इंकार करेगा यदि:

(क) अनुरोध का निष्पादन यदि इसकी संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अन्य आवश्यक हितों को प्रभावित करेगा या किसी व्यक्ति की सुरक्षा के प्रति पक्षपाती होगा;

(ख) अनुरोध का निष्पादन अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून के प्रतिकूल होगा;

(ग) यह अनुरोध उस अपराध के संबंध में है, जिसके संबंध में आरोपी व्यक्ति को अंततः बरी कर दिया गया था या क्षमा कर दिया गया था;

(घ) अनुरोध एक सैन्य अपराध से संबंधित है जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं है।

(ड.) यह मानने के पर्याप्त आधार हो कि किसी व्यक्ति की जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, मूल या राजनीतिक विचारों का उस व्यक्ति की स्थिति आधार पर किसी व्यक्ति की जांच और मुकदमा चलाने के लिए सहायता का अनुरोध किया गया है जो किन्हीं कारणों से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकती है ।

(च) इस करार के प्रावधानों के अनुरूप अनुरोध नहीं किया गया है।

(छ) यदि अनुरोध उस अपराध के लिए किया गया है जिसे अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा राजनीतिक प्रकृति का माना जाता है। इस करार के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अपराधों को राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा:

i) किसी एक पक्षकार के किसी राष्ट्र के प्रमुख या सरकार के प्रमुख के व्यक्ति के विरुद्ध हत्या या अन्य इरादतन अपराध।

ii) विमान अपहरण अपराध, जैसा कि हेग, में दिनांक 16 दिसंबर 1970 को की गई विधिविरुद्ध विमान अपहरण के दमन सम्बन्धी हेग संधि में वर्णित है ;

iii) उड्डयन अन्तर्ध्वंस सम्बन्धी कृत्य, जैसा कि मोंट्रियल में दिनांक 23 सितंबर, 1971 को की गई नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन के लिए मॉन्ट्रियल संधि में वर्णित है;

iv) राजनयिकों सहित अंतरराष्ट्रीय संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध, जैसा कि दिनांक 14 दिसंबर, 1973 को न्यूयॉर्क में किए गए राजनयिक एजेंटों सहित अंतरराष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और सजा सम्बन्धी संधि में वर्णित है;

v) बंधक बना लेना, जैसा कि दिनांक 17 दिसंबर, 1979 को न्यूयॉर्क में किए गए बंधक बनाए जाने के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वर्णित है;

vi) अवैध मादक पदार्थ से संबंधित अपराध, जैसा कि 30 मार्च, 1961 को न्यूयॉर्क में की गई स्वापक मादक पदार्थों के सम्बन्ध में एकल संधि, 1961, 25 मार्च 1972 को जेनेवा में स्वापक मादक पदार्थों के सम्बन्ध में एकल संधि, 1961 को संशोधित करते हुए प्रोटोकॉल, और 20 दिसंबर, 1988 को वियना में किए गए स्वापक मादक पदार्थ और मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वर्णित है;

vii) आतंकवाद से संबंधित आपराधिक अपराधों की जांच और कार्यवाही अर्थात राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हिंसा का उपयोग करना या जनता में भय पैदा करना;

viii) बहुपक्षीय आतंकवाद, स्वापक पदार्थों, साइबर-अपराध, भ्रष्टाचार समझौते और इसके प्रोटोकॉल के दायरे में आने वाले अपराध जिनमें दोनों पक्षकार जुड़े हों;

ix) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) के तहत परिभाषित कोई भी अपराध;

x) पूर्वगामी अपराधों में से कोई भी अपराध करने का षडयंत्र या प्रयास या किसी ऐसे व्यक्ति को सहायता या उकसाना जो ऐसे अपराधों को करने या करने का प्रयास करता है।

2. सहायता से इंकार किया जा सकता है यदि:

क) यदि किया गया अनुरोध अप्रासंगिक प्रकृति का है।

ख) अपराध को अवरुद्ध करने, अपराध से प्राप्त आय अथवा साधनो को जब्त करने, कुर्क करने अथवा संपत्ति को जब्त करने के सम्बन्ध में ऐसे अनुरोध जो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में ऐसे कृत्य/गतिविधियाँ को ऐसे अवरुद्धता, जब्ती, कुर्की या पकड़ने के अनुरोध का आधार नहीं बनाया जा सकता है ।

ग) यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का केंद्रीय प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अनुरोध का निष्पादन एक चल रही आपराधिक जांच, अभियोजन, या उस पक्षकार में कार्यवाही के साथ हस्तक्षेप करेगा, तो यह निष्पादन को स्थगित कर सकता है, या अनुरोधकर्ता पक्षकार के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ परामर्श के बाद आवश्यक शर्तों के अनुसार निष्पादन को आवश्यक बना सकता है। यदि अनुरोध करने वाला पक्षकार सहायता शर्तों को स्वीकार करता है, तो वह शर्तों का पालन करेगा।

घ) अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार तुरंत अपने निर्णय से अनुरोधकर्ता पक्षकार को सूचित करेगा कि वह सहायता के लिए अनुरोध को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक तौर पर निष्पादन या समाधान के बारे में सूचित करेगा अथवा नहीं और वह निष्पादन को स्थगित करने के लिए कारण बताएगा ।

3. सहायता के अनुरोध को अस्वीकार करने से पूर्व अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार इस बात पर विचार करेगा कि क्या वह आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों के तहत सहायता दे सकता है। यदि अनुरोध करने वाला पक्षकार शर्तों के अधीन सहायता स्वीकार करता है, तो वह उनका अनुपालन करेगा।

अनुच्छेद 7
दस्तावेज तामील करवाना

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार कोई भी दस्तावेज तामील कराने के उद्देश्य से इसे उपलब्ध कराएगा ।

2. अनुरोध करने करने वाले पक्षकार के प्रत्युत्तर या प्रकटन से सम्बंधित दस्तावेज तामील कराने का अनुरोध निर्धारित प्रत्युत्तर या प्रकटन से पहले समुचित समय सीमा के भीतर करेगा।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार, अनुरोध में निर्दिष्ट तरीके से यथासंभव तामील करवाने का प्रमाण देगा।

4. यदि तामील कराना संभव नहीं है तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार, अनुरोधकर्ता पक्षकार को तुरंत इसके कारणों के बारे में सूचित करेगा।

अनुच्छेद 8

दस्तावेजों और वस्तुओं का अंतरण

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, सरकारी विभागों और एजेंसियों की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करेगा।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकारसरकारी विभाग या एजेंसी के अधिकार में रखी , हुईकोई भी जानकारी, दस्तावेज, रिकॉर्ड और वस्तुएं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है उन्ही सीमा तक और उन्हीं शर्तों के तहत, जो उनके स्वयं के कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध हैं, प्रदान कर सकता है।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करेगा, जब तक कि अनुरोध करने वाला पक्षकार मूल प्रतियों के लिए अनुरोध न करे।

4. अनुरोधकर्ता पक्षकार को प्रदान किए गए मूल दस्तावेज, रिकॉर्ड या वस्तुएं अनुरोध पर जल्द से जल्द अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को वापस कर दी जाएंगी।

5. जब तक कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के क़ानून द्वारा निषिद्ध न हो दस्तावेज, रिकॉर्ड या वस्तुएं कार्य में अथवा ऐसे प्रमाणन के साथ प्रदान की जाएगी जो अनुरोधकर्ता पक्षकार के क़ानून की स्वीकारिता के लिए अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों।

अनुच्छेद 9
अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में साक्ष्य लेना

1. हिरासत में लिए गए व्यक्ति सहित कोई व्यक्ति अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के देश में साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज, अभिलेख या अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, तो उसे अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अनुसार उपस्थित होने और गवाही देने, दस्तावेज़, अभिलेख और अन्य सामग्री प्रस्तुत करने के लिए सम्मन अथवा आदेश द्वारा बाध्य किया जायेगा ।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अधीन, अनुरोधकर्ता पक्षकार के आयुक्त, अन्य अधिकारी और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की ओर से कार्यवाही से संबंधित व्यक्तियों को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार में साक्ष्य लेने के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी ।

3. साक्ष्य लेते समय मौजूद अनुरोधकर्ता पक्षकार के व्यक्ति को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के क़ानून की अनुमति के अनुसार अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के प्राधिकारियों के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुरोध के निष्पादन के दौरान उपस्थित व्यक्तियों को कार्यवाही की शब्दशः प्रतिलिपि तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह के शब्दशः प्रतिलिपि बनाने के लिए तकनीकी साधनों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

4. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून के अधीन, गवाह को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के देश में अनुरोधकर्ता पक्षकार के सक्षम न्यायालय द्वारा गठित आयोग द्वारा भी जांच की जा सकती है ।

5. इस अनुच्छेद के तहत सहायता के लिए अनुरोध करने पर, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के सीमा क्षेत्र में गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ऐसे साक्ष्य देने से मना कर सकता है यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का कानून इसकी अनुमति देता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध इस कारण से

अनुरोधकर्ता पक्षकार अथवा अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के न्यायालयों द्वारा किसी भी दंड या कठोर कारवाई नहीं की जा सकेगी ।

अनुच्छेद 10
अनुरोधकर्ता पक्षकार में साक्ष्य देने या जांच में सहायता के लिए व्यक्तियों की उपलब्धता

1. अनुरोधकर्ता पक्षकार किसी व्यक्ति को निम्नलिखित कारण से आमंत्रित करने में अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की सहायता ले सकता है:

   क) अनुरोधकर्ता पक्षकार के किसी आपराधिक मामले के संबंध में कार्यवाही में हाजिर होने या गवाही देने के लिए बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति कार्यवाही में आरोपित व्यक्ति नहीं होगा; या

   ख) अनुरोधकर्ता पक्षकार के किसी आपराधिक मामले के संबंध में जांच में सहायता के लिए ।

2. यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार यह मानता है कि सबूत देने या सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी गवाह या विशेषज्ञ की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता है, तो यह अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को सूचित करेगा। अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोध के गवाह या विशेषज्ञ को सूचित करेगा, और फिर गवाह या विशेषज्ञ से प्राप्त जवाब से अनुरोधकर्ता पक्षकार को अवगत कराएगा । जहां उपयुक्त हो, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार स्वयं को संतुष्ट करेगा कि व्यक्ति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार ऐसे व्यक्ति को अग्रिम रूप से परस्पर सहमत राशि प्रदान कर सकता है जो अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा वापस की जाएगी ।

4. शिकायतकर्ताओं, गवाहों और विशेषज्ञों के लिए भत्ता, यात्रा और निर्वाह व्यय का वहन अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 11
साक्ष्य देने अथवा जांच में सहयोग के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध कराना

1. अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध करने पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जांच या कार्यवाही में सहायता करने के लिए अनुरोधकर्ता पक्षकार को अस्थायी रूप से अंतरित किया जाएगा, बशर्ते कि वह व्यक्ति उस अंतरण के लिए सहमति देता है और उस व्यक्ति के अंतरण का कोई अधिमानी आधार नहीं है ।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के क़ानून के तहत जहाँ स्थानांतरित व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना आवश्यक है, वहां अनुरोधकर्ता पक्षकार उस व्यक्ति को हिरासत में रखेगा और अनुरोध के निष्पादन के समापन पर हिरासत में रखे व्यक्ति को वापस कर देगा।

3. जहां लगाई गई सजा समाप्त हो रही हो या जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार को सलाह देता है कि स्थानांतरित व्यक्ति को अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, तब उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जायेगा और उस व्यक्ति के साथ अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा किये गए अनुरोध के आधार पर उपस्थित व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाएगा ।

4. अस्थायी रूप से अंतरित व्यक्ति को आपराधिक मामले, जिसके संबंध में व्यक्ति को अंतरित किया गया है, की कार्यवाही के समापन पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को वापस कर दिया जाएगा ।

5. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के सीमा क्षेत्र में हिरासत की उस अवधि की निरुद्धता की अवधि से कटौती की जाएगी, जो संबंधित व्यक्ति ने अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में बिताई है अथवा बिताने के लिए बाध्य होगा ।

अनुच्छेद 12
सुरक्षित आचरण

1. किसी अनुरोध के फलस्वरूप अनुरोधकर्ता पक्षकार के लिए उपस्थित व्यक्ति को, अनुच्छेद 11 (2) के अनुसरण में हिरासत को छोड़कर हिरासत में नहीं लिया जाएगा, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले उस व्यक्ति द्वारा किये गए किसी कृत्य या चूक के लिए उसे अभियोजित नहीं किया जाएगा अथवा उसकी निजी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं लगाई जाएगी न ही उस व्यक्ति को उस कार्यवाही जिससे अनुरोध संबंधित है, के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाएगा ।

2. यदि कोई व्यक्ति, अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो, आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त करने के बाद तीस (30) दिनों के भीतर देश नहीं छोड़ा हो, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत हाजिरी अनिवार्य नहीं हो, अथवा उसने देश छोड़ दिया हो और स्वेच्छा से लौट आया हो तब इस अनुच्छेद का पैरा 1 लागू नहीं होगा ।

3. अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11 के अनुसरण में यही कोई व्यक्ति अंतरण की सहमति नहीं देता तो वह व्यक्ति इस कारण से तब अनुरोधकर्ता पक्षकार अथवा अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायालय द्वारा वह किसी प्रकार के दंड अथवा कठोर कारवाई का पात्र नहीं होगा ।

अनुच्छेद 13
हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का पारगमन

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार या तीसरे राज्य द्वारा हिरासत में रखे गए व्यक्ति जिसकी व्यक्तिगत उपस्थिति का अनुरोध जांच, अभियोजन या कार्यवाही में अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा किया गया है, के अपने क्षेत्र के माध्यम से पारगमन को अधिकृत कर सकता है।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को पारगमन के दौरान व्यक्ति को हिरासत में रखने का अधिकार और दायित्व होगा।

अनुच्छेद 14
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, जहां तक संभव हो, और अपने घरेलू कानून के अधीन होने पर, अनुच्छेद 9, 10 और 11 के प्रयोजनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है।

अनुच्छेद 15
खोज और जब्ती

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार साक्ष्य के उद्देश्य से किसी भी सामग्री की खोज और जब्ती करने और इसे अनुरोधकर्ता पक्षकार को सुपुर्द करने के अनुरोध को निष्पादित करेगा, बशर्ते कि यह किसी तीसरे पक्षकार के वाजिब अधिकारों की रक्षा करता हो।

2. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा खोज और जब्ती उसी सीमा तक और उन्ही शर्तों के तहत की जाएगी जो उनके अपने कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों के लिए उनके स्वयं के कानूनों के अनुसार किया जाता है।

3. सक्षम प्राधिकारी जिसने खोज और जब्ती के लिए अनुरोध निष्पादित किया है, ऐसी सूचना प्रदान करेगा जो कि संबंधित पक्षकार द्वारा आवश्यक हो, लेकिन यह केवल जब्त दस्तावेजों, रिकॉर्ड या वस्तुओं की पहचान, स्थिति, सत्यता और निरंतरता और जब्ती की परिस्थितियाँ तक सीमित नहीं होगा ।

4. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के केंद्रीय प्राधिकरण को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन अनुरोधकर्ता पक्षकार की सहमति की आवश्यकता होगी, जो अनुरोध प्राप्तकर्ता पार्टी को हस्तांतरित किए जाने वाले मदों के फलस्वरूप तीसरे पक्षकार के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगी ।

अनुच्छेद 16
अपराध से प्राप्त धन और साधनों की जब्ती, कुर्की और समपहरण तथा इन्हें साझा करना

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, अनुरोध करने पर यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि कथित अपराध से प्राप्त आय या साधन उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं, इस सम्बन्ध में हुई वित्तीय व्यवहार की जांच करेगा और अपराध से प्राप्त आय और

साधनों की वसूली सुनिश्चित करने में मदद करने वाली अन्य जानकारियाँ या साक्ष्य जुटाएगा । अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अपनी जाँच के परिणामों से अनुरोधकर्ता पक्षकार को अवगत कराएगा।

2. वर्तमान अनुच्छेद 1 के उप खंड-1 के अनुसरण में जहां अपराध से प्राप्त संदिग्ध आय और साधन पाए जाते हैं, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोध करने के पश्चात अपने क़ानून द्वारा यथा अनुमत्य उपाय करेगा ताकि अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायालय द्वारा ऐसे आय के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय को लंबित रखते हुए संदिग्ध आय या साधन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की लेन-देन, अंतरण या निपटान को रोका जा सके ।

3. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, अपने कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायालय द्वारा अपराध के आय और साधन को जब्त करने या कुर्क करने के लिए किए गए अंतिम निर्णय को लागू अथवा प्रवर्तन करेगा और आपराधिक अभियोजन में अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायलय द्वारा लगाए दंड की वसूली और अपराध के पीड़ितों को लाभ देने की दिशा में उपयुक्त कारवाई करेगा ।

4. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान अनुच्छेद को लागू करने में तीसरे पक्षकार के वाजिब अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित हो ।

5. पक्षकार अपराध से प्राप्त आय और साधनों में से उचित खर्चों में कटौती के बाद अंतिम निपटान के लिए परामर्श करेंगे।

6. जहां किसी भी पक्षकार को यह विश्वास करने के कारण हैं कि अन्य पक्षकार के क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने अथवा इसके वित्तपोषण में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह ने इसके अधिकार क्षेत्र में

कोई राशि संग्रहीत की है अथवा योगदान दिया है अथवा किसी प्रकार का योगदान कर रहा है, तब वह इन तथ्यों को अन्य पक्षकार के संज्ञान में लाएगा और अनुरोध पर, अपने घरेलू कानून द्वारा अनुमति के अनुसार ऐसे धन की खोज, जब्ती और समपहरण करने और संबंधित व्यक्ति के अभियोजन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ।

अनुच्छेद 17
परिसंपत्ति की वापसी

1. सामान्य नियम के रूप में, अनुरोधकर्ता पक्षकार के किसी न्यायालय द्वारा अपील अथवा इसके समकक्ष पर निर्णय दिए जाने के बाद संपत्ति की वापसी सक्षम अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी।

2. वापसी, अनुरोधकर्ता पक्षकार के अंतिम निर्णय के आधार पर सामान्य नियम के रूप में होगी।

अनुच्छेद 18
गबन किये गए सार्वजनिक धन की वापसी

1. जब अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार किसी ऐसी परिसंपत्तियों को जब्त अथवा कुर्क करता है जो कि सार्वजनिक धन बन जाता है, चाहे वह धन शोधित हुआ हो अथवा नहीं, और जिसे अनुरोध करवने वाले पक्षकार से गबन करके बनाया गया है, तब अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार जब्त या कुर्क की गई परिसंपत्ति को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा इस पर किये गए किसी प्रकार के हुई प्रचालन लागत को घटा कर, लौटा दिया जाएगा । वापसी, अनुरोधकर्ता पक्षकार के अंतिम निर्णय के आधार पर सामान्य नियम के रूप में होगी ।

2. यदि जब्त की गई वस्तु किसी एक पक्षकार की सांस्कृतिक संपत्ति दर्शाती है तो यह उस पक्षकार को समग्र रूप में वापस कर दी जाएगी।

3. पक्षकार इस बात से सहमत होंगे कि जहाँ सहायता देने वाले पक्षकार द्वारा प्राप्त संपत्ति का मूल्य अथवा प्रदान की गई सेवा नगण्य होगी, उसके बारे में सेवा लेना उपयुक्त नहीं होगा ।

अनुच्छेद 19
आंकड़ों की सुरक्षा और संरक्षण

1. इस करार के तहत डिजीटल या व्यक्तिगत आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए सहायता से संबंधित अनुरोध अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून के अनुपालन में ही किया जाएगा। बड़े अपराधों की रोकथाम, अपराधों के अभियोजन और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरे को दूर करने के लिए भी ऐसे आंकड़े दिए जा सकते हैं।

2. पैरा 1 के अधीन सहायता मांगने या देने के समय पक्षकार उनके घरेलू कानूनों के अनुसार निम्नलिखित युक्तिसंगत सुरक्षा उपाय करेंगे:

क) व्यक्तिगत आंकड़े सहित डाटा उचित रूप से और कानून के अनुसार प्राप्त किए जाएं तथा उपयोग किए जाएं एवं युक्तिसंगत, उपयोगी और जिस उद्देश्य के लिए इसे मांगा और दिया गया है उसके लिए ही होंगे।

ख) अनुरोधकर्ता पक्षकार दूससे पक्षकार को उस अवधि की जानकारी देगा जिसके लिए आंकड़े अपेक्षित हैं। अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा ऐसे समय अवधि पर अपनी समहति दी जाएगी। अंतरित आंकड़े को इसके प्रयोजन के लिए अपेक्षित अवधि तक ही रखा जाएगा और उस अवधि के समाप्त हो जाने पर उसे अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार

को लौटा दिया जाएगा अथवा उसे मिटा दिया जाएगा। अनुरोधकर्ता पक्षकार अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को अग्रिम सूचना देगा यदि आंकड़े को अनुरोधकर्ता पक्षकार के पास अधिक अवधि तक रखना हो।

ग) दोनों पक्षों के सक्षम अधिकारी गलत, अपूर्ण अथवा पुराने आंकड़े के अंतरण को रोकने के लिए सभी युक्तिसंगत उपाय करेंगे। यदि यह साबित होता है कि गलत या अहस्तांतरणीय आंकड़े अंतरित किए गए हैं तो अनुरोधकर्ता पक्षकार तत्काल अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को सूचित करेगा और सही अथवा सटीक आंकड़े उपलब्ध कराएगा। अनुरोधकर्ता पक्षकार इस प्रकार प्राप्त ऐसे गलत आंकड़े को मिटा देगा या वापस कर देगा।

घ) इस करार के अधीन अनुरोधकर्ता पक्षकार को अंतरित कोई आंकड़ा किसी तीसरे देश, किसी निजी व्यक्ति या किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय को आंकड़ा उपलब्ध कराने वाले अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की सहमति के बिना अंतरित नहीं किया जाएगा।

ड(. पक्षकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे कि उन्हें अंतरित आंकड़े आकस्मिक या अप्राधिकृत विनाश, आकस्मिक हानि और अप्राधिकृत पहुंच, संशोधन या प्रसारण से सुरक्षित रहें।

च) पक्षकार अंतरित आंकड़ों तथा इसे नष्ट किए जाने का रिकॉर्ड रखेंगे।

छ) अनुरोध किए जाने पर अनुरोधकर्ता पक्षकार अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार को सूचित करेगा कि आंकड़ों का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

3. ऐसी स्थिति में जब अनुरोधकर्ता पक्षकार को यह लगता है कि इस बात का आधार है कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के पास आपराधिक गतिविधि के संबंध में सूचना है तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अनुरोध कर सकता है कि वह कोई कम्प्यूटर आंकड़ा रखने अथवा नियंत्रित करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति या इंटरनेट

सेवा प्रदाता को नोटिस जारी करे जिस पर आंकड़ों के संरक्षण का अनुरोध लागू होता है।

अनुच्छेद 20
बैंक सूचना की पहचान

1. अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, इस अनुच्छेद के अनुसार, तत्काल यह पता लगाएगा कि उसके क्षेत्राधिकार में स्थिति बैंकों के पास कोई ऐसी सूचना है कि किसी अपराधिक कृत्य का संदिग्ध या आरोपी कोई चिन्हित देशीय या कानूनी व्यक्ति किसी बैंक में खाता या खातों का धारक है तथा उसके अन्य ब्यौरे का पता भी लगाएगा। अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार तुरन्त यह सूचना अनुरोधकर्ता पक्षकार को देगा।

2. इस अनुच्छेद के उप खंड 1 में वर्णित कार्य निम्नलिखित पहचान प्रयोजनों के लिए भी लागू होंगे:

क) किसी आपराधिक कृत्य के लिए अभियोजित या उसमें अन्यथा शामिल किन्ही देशीय या कानूनी व्यक्तियों से संबंधित सूचना;

ख) खातों से अलग वित्तीय लेन-देन।

3. पक्षकार इस करार के उपबंधों के अनुसार इस अनुच्छेद के अनुसरण में चिन्हित खातों या लेन-देन के संबंध में रिकॉर्ड देने के अनुरोध पर प्रत्युत्तर देंगे।

अनुच्छेद 21
संयुक्त जांच

परस्पर सहमत निबंधनों और शर्तों के अनुसार, पक्षकार मामला-दर-मामला आधार पर जांचों, अभियोजन और कार्यवाहियों के संबंध में संयुक्त जांच कर सकते

हैं। पक्षकार आपस में वह प्रक्रिया निर्धारित करेंगे जिसके अधीन संयुक्त जांच दल काम करेगा, जैसे इसका गठन, अवधि, स्थान, संगठन, कार्य, उद्देश्य और शर्तें अथवा दूसरे पक्षकार के क्षेत्राधिकार में किए जा रहे जांच कार्य में पहले पक्षकार के दल सदस्यों की भागीदारी।

अनुच्छेद 22
अन्य समझौतों/संधियों के साथ अनुकूलता

इस करार में निर्धारित सहायता और प्रक्रियाएं किसी पक्षकार को अन्य लागू अंतरराष्ट्रीय सहमतियों/समझौतों के प्रावधानों के माध्यम से, या उसके घरेलू कानून के प्रावधानों के माध्यम से दूसरे पक्षकार को सहायता देने से नहीं रोकेगा। पक्षकार किसी लागू द्विपक्षीय व्यवस्था, करार या व्यवहार के अनुसरण में भी सहायता दे सकते हैं।

अनुच्छेद 23
गोपनीयता और प्रयोग की सीमा

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार सहायता के अनुरोध, इसके विषय और इसके समर्थक दस्तावेजों को गोपनीय रखने का प्रयास करेगा। यदि गोपनीयता भंग किए बिना अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जा सकती हो तो, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अनुरोधकर्ता पक्षकार को इसकी सूचना देगा, जो तब यह निर्णय लेगा कि अनुरोध पर कार्रवाई की जाए या नहीं तथा किस सीमा तक की जाए।

2. अन्यथा सहमत नहीं होने पर, अनुरोधकर्ता पक्षकार अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की सहमति के बिना, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना या साक्ष्य का उपयोग या अंतरण अनुरोध में उल्लिखित जांचों या कार्यवाहियों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। अनुरोधकर्ता पक्षकार

अनुरोध में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सहायता के रूप में प्राप्त सूचना या साक्ष्य का उपयोग या प्रकटन करने के लिए अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की पूर्व सहमति के लिए अनुरोध करेगा।

3. अनुरोधकर्ता पक्षकार उपलब्ध कराई गई सूचना या साक्ष्य के उपयोग या पारेषण पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा लगाई गई सीमा का पालन करेगा।

अनुच्छेद 24
सहज सूचना

1. किसी पक्षकार का केन्द्रीय प्राधिकारी, बिना पूर्व अनुरोध के, दूसरे पक्षकार के केन्द्रीय प्राधिकारी को कोई सूचना दे सकता है, यदि वह समझता है कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण दूसरे पक्षकार को जांच या कार्यवाहियों को शुरू करने या चलाने में मददगार होगा या इससे वह पक्षकार इस करार के अधीन कोई अनुरोध कर पाएगा।

2. सूचना देने वाला पक्ष, अपने घरेलू कानून के अनुसरण में, दूसरे पक्षकार द्वारा ऐसी सूचना के उपयोग पर शर्तें लगा सकता है।

अनुच्छेद 25
प्रमाणन या सत्यापन

इस करार के अनुसरण में अंतरित दस्तावेज, अभिलेख या वस्तुओं का अनुच्छेद 7 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षा या अनुरोधकर्ता पक्षकार की अपेक्षा के सिवाय किसी प्रकार का प्रमाणन आवश्यक नहीं होगा।

अनुच्छेद 26
भाषा

अनुरोध और समर्थन दस्तावेजों के साथ भारत के लिए उसका अंग्रेजी अनुवाद और ब्राजील के लिए उसका पुर्तगाली अनुवाद संलग्न होगा।

अनुच्छेद 27
लागत

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार सहायता के अनुरोध को पूरा करने की लागत वहन करेगा, सिवाय निम्नलिखित लागतों के जिसे अनुरोधकर्ता पक्षकार वहन करेगा:

(क) अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर किसी व्यक्ति के अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में आने या बाहर जाने से संबंधित व्यय; और इस करार के अनुच्छेद 9 या 10 के अधीन किसी अनुरोध के अनुसरण में अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में उस व्यक्ति को भुगतान किया गया कोई व्यय;

(ख) अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार या अनुरोधकर्ता पक्षकार में किन्हीं विशेषज्ञों को भत्ते और शुल्क सहित व्यय; और

(ग) अनुवाद, व्याख्या और लिप्यंतरण से संबंधित व्यय।

2. वीडियों, सैटेलाइट या किसी अन्य तकनीकी माध्यम से अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की ओर से अनुरोधकर्ता पक्षकार को साक्ष्य के संप्रेषण का व्यय संबंधित पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा।

3. अगर यह स्पष्ट होता है कि अनुरोध पूरा करने के लिए बहुत अधिक व्यय अपेक्षित है तो, दोनों पक्षकार उन निबंधनों और शर्तों के निर्धारण के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जिसके अधीन अनुरोध प्राप्तकर्ता सहायता प्रदान की जा सकती है।

अनुच्छेद 28
परामर्श

1. पक्षकारों के केन्द्रीय प्राधिकारी इस करार के सर्वाधिक प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा परस्पर सहमत समयों पर, तुरंत परामर्श करेंगे। केन्द्रीय प्राधिकारी इस करार के कार्यान्वयन को आसान करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे व्यावहारिक उपाय करने पर भी सहमत हो सकते हैं।

2. इस करार के प्रभावी उपयोग और इस समझौतों के अधीन अनुरोधों पर कार्रवाई की निगरानी के लिए पक्षकारों के केन्द्रीय पक्षकारों के बीच द्विपक्षीय परामर्श वार्षिक रूप से होंगे।

अनुच्छेद 29
विवाद समाधान

पक्षकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस करार की व्याख्या या उसके लागू होने से संबंधित विवादों का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद 30
लागू होना, संशोधन और समापन

2. आपसी सहमति से इस करार का संशोधन किया जा सकता है।

3. कोई भी पक्षकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे पक्षकार को छह महीने का लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है। ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, करार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

4. समापन की स्थिति में, करार के समाप्त होने से पहले प्राप्त सहायता अनुरोधों पर करार के शर्तों के अनुसार उसी प्रकार कार्रवाई जारी रहेगी जैसे करार अभी भी लागू हो।

अधोहस्ताक्षरी ने उनके संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने पर साक्ष्य तौर पर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दिनांक ..... 2020 को..... बजे दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(एस. जयशंकर)
विदेश कार्य मंत्री
भारत गणराज्य की और से

(अर्नेस्टो हेनरिक फ्रैगा अरुजो)
विदेश कार्य मंत्री
ब्राजील संघीय गणराज्य की और से